न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 154/2020 प्रा० पत्र

1. श्रीमति बेऊ पत्नी हेमा जाति कुमावत नि० हमीरपुर (बेमाली) तह० करेड़ा।
2. श्रीमति भरत्तु पत्नी डुंगा जाति कुमावत नि० हमीरपुर (बेमाली) तह० करेड़ा —प्रार्थी।

बनाम

1. श्री भज्जा पिता भूरा जाति कुमावत नि० हमीरपुर (बेमाली) तह० करेड़ा वगैरा —विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 11 / 01 / 2021.

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ......लाडुवास...... पटवार हल्का ......लाडुवास...... नि0 क्षेत्र ......बेमाली...... में उनके खाता संख्या ..214.. की आ0नं0 ......
4/13 बीघा, 15/2.17 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा
...... स्थित है।
त्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी देश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ..18/11/2020.. को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण वलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से ढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की ेरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों खते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: **आदेश**::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम ......लाडुवास...... पटवार हल्का ......लाडुवास...... भू0अ0नि0 क्षेत्र ......बेमाली...... में उनके खाता 214 की आ0नं0 ...... संवत् 2073 से 2076 आ० नं० 14/7.13, 15/2.17 कुल किता 3 रकबा 10.10 बीघा
...... भूमि स्थित है।
चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 ....ाली ...... को 800 ...... /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर ार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व ी यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को ... कर पत्थरगढी की जावें। फसल ने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

:–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

...ि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)